☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 / 2551 दिनांक : 04/01/2019

निविदा सूचना सं. 03 / 2018–19

इस कार्यालय के अन्तर्गत वर्ष 2018–2019 के लिए अनुबन्ध के आधार पर कार्य कराने हेतु अनुभवी जी.एस. टी. पंजीकृत संस्थाओं से डबल कवर सिस्टम के अन्तर्गत मुहरबन्द निविदायें निम्नानुसार आमन्त्रित की जाती हैं:–

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा शुल्क	अमानत राशि
1.	2 कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन	रू. 300 / –	रू. 5000 / –
2.	6 क्षैत्र सहायक (Field Assistant)	रू. 300 / –	रू. 10000 / –
3.	2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रू. 200 / –	रू. 3500 / –
4.	3 सुरक्षाकर्मी	रू. 300 / –	रू. 5000 / –

उपरोक्त निविदायें दिनांक 08 / 01 / 2019 से 22 / 01 / 2019 तक किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10:00 से सायंः 05:00 बजे तक इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा दिनांक 23 / 01 / 2019 तक दोपहर 2:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करा सकते हैं। डबल कवर सिस्टम के अन्तर्गत प्राप्त निविदाओं में तकनीकी बोली प्रपत्र को दिनांक 23 / 01 / 2019 को दोपहर 03:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं के वित्तीय बोली प्रपत्र दिनांक 23 / 01 / 2019 को ही खोला जावेगा। निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्ते विभागीय वेबसाईट http:/www./rpcb.rajasthan.gov.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है। निविदा फार्म वेबसाईट से भी डाउनलोड किए जा सकते है। निविदा शुल्क की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना होगा जो **क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा का नाम देय होगा।** प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग निविदा शुल्क एवं अलग–अलग अमानत राशी का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जावेगा। अमानत राशि के लिए डिमान्ड ड्राफ्ट ही स्वीकार किये जायेगें, जो कि **सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, देय कोटा (Payable at Kota)** के नाम से प्रस्तुत करना होगा।

(अमित जुयाल)
क्षैत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् निदेशक सूचना एवंज न सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा सूचना नियमानुसार समाचार पत्रो में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
2. सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
3. श्रीमान् ए.सी.पी.(आई.टी.सेल) महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख कि टेण्डर बोर्ड की वेबसाईट पर पर अपलोड करवाने का श्रम करे।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(अमित जुयाल)
क्षैत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 /

दिनांक :

–: तकनीकी बोली प्रपत्र :–
(लिफाफा न0 1)

कार्य का नाम – कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मेन विद मशीन–कुल संख्या 02)

1. संदर्भ : क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा की बोली सूचना संख्या – .... दिनांक ....
2. बोलीदाता / संवेदक का नाम :– ....
3. डाक का पता :– ....
....
4. फोन / मोबाईल नं. :– ....
5. ई–मेल :– ....
6. बैंक का नाम :– ....
आईएफएससी कोड :– ....
खाता संख्या :– ....
7. किसको सम्बोधित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा
8. बोली शुल्क रूपये :
(1) 300 / – रू (पाँच सौ मात्र)
(2) जमा रसीद संख्या ....दिनांक....
डीडी क्रमांक .... दिनांक ....
राशि............. **(डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के पक्ष में देय होगा)**
9. बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार हैं,तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
10. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन कार्य हेतु दरें प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई हैं।
11. **<u>बोली अमानत राशि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के पक्ष रूपये</u>** .... निम्नानुसार संलग्न है।
डीडी संख्या .... दिनांक....................... बैंक की शाखा का नाम ....
12. संलग्न प्राईस शिड्यूल मे वर्णित दरे बोली स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेंगा।
13. बोलीदाता / संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरणों का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ संलग्न करनी होगीः–

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970। (लागू नहीं होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें)				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन–325/2018–19/ दिनांक :

4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होंने सम्बन्धी 50रू.के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र				
8	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायांप्रति				

14. बोलीदाता/संवेदक द्वारा केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत्त संस्थाएं /परियोजनाएं/बोर्ड/समिति/आयोग /शिक्षण संस्था/बैंकों में कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति पर स्वहस्ताक्षरित कर बोली दस्तावेजों के साथ लगाना होगाः–

क्र. सं.	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध करवाये कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की समयावधि	संबंधित विभाग /संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन

15. मै/हम क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा जारी की गई खुली बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक.............दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली आंमत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।

16. संवेदक /बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम.......................................

मोबाईल न. –

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन–325/2018–19/ दिनांक :

प्राईस–शिड्यूल(वित्तीय बोली लिफाफा नं.2)

कार्य का नाम–कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मेन विद मशीन–कुल संख्या 3)

सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	समग्री राशि/ उपकरण किराया (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	कुल राशि रू
	श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	श्रमिकों की संख्या (प्रति ईकाई)	राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)					
2		3	4	5	6	7	8	9	10
कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (कुल संख्या 3)	उच्च कुशल	**7358**	**2**	**7358**	**12.00** (नियोक्ता)	**4.75** (नियोक्ता)			

1. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 8, 9 एवं 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी।

2. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

3. स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में 0, एवं (–) में राशी स्वीकार नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम –

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 /

दिनांक :

कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) की सेवायें किराये पर लेने के लिये मांगी जाने वाली निविदा के लिये शर्तेः–

निविदादाता को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ लेना चाहिये एवं निविदा भेजते समय इनकी पूर्णतः पालना करनी चाहिये। निविदाताता को यदि किसी शर्त या कार्य के बारे में कोई सन्देह हो या वह अस्पष्ट लगे तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पहले उसका क्षैत्रीय कार्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जावें। किसी भरी शर्त की व्याख्या या विशेष विवरण के संबंध में क्षैत्रीय अधिकारी ही अंतिम व मान्य होगा।

1. निविदा प्रपत्र क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, कोटा के कार्यालय से निर्धारित शुल्क नकद जमा करवाकर प्राप्त की जा सकेगी। निविदा प्रपत्र पर प्रस्तुत दरें ही स्वीकार की जावेगी। यह निविदा प्रपत्र किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।
2. निविदा ठीक प्रकार से सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफापे पर "संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) की निविदा" अंकित कर उसे क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, कोटा को सम्बोधित करते हुये रजिस्टर्ड डाक / साधारण डाक द्वारा या व्यक्ति इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक क्षैत्रीय कार्यालय में पहुंच जावें।
3. निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. अमानत राशि के रूप में डी.डी.निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, बिना अमानत राशि के प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। डी.डी., सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के नाम देय होगा।
5. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर स्वयं के खर्चे पर रूपये 500 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
6. निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करने पर उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं अन्य निविदादाता की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय किया जा सकेगा।
7. यह निविदा केवल वही व्यक्ति / फर्म / संस्थाऐं प्रस्तुत कर सकती हैं जिनका पंजीयन श्रम विभाग / जी.एस.टी. एवं आयकर विभाग में हो। साक्ष्य के रूप में उक्त पंजीयन प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रतियां निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना पंजीयन प्रमाण–पत्रों के आवेदन करने वाली फर्म / व्यक्ति / संस्थाओं की निविदा को निरस्त समझा जावेगा। ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. का पंजीयन भी नियमानुसार होना आवश्यक है।
8. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) की संख्या व योग्यता विवरणः–
   कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) की संख्याः–2
   कर्मी की योग्यताः–
   (i) कम्प्यूटर ऑपरेटर को विन्डोज / लाइनेक्स एन्वायरमेन्ट ओपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इन्टरनेट का ज्ञान / अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यो का निष्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी की टाईपिंग में दक्ष होना आवश्यक है।
   (ii) कर्मी स्वस्थ्य एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिये।
9. मशीनों को विवरणः–निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी में होना आवश्यक हैं।

(i) Computer- Intel Core i3/Equivalent AMD based computer or higher speed RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250GB or more 15" Monitor/TFT or bigger 10/1001000 Mbps Lan card, Cd/DVD writer standards Keyboard, Optical mouse, Standard serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS office, responsibility of software license will be borne by the contractor.

(ii) Printer:-Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Do Matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

(iii) UPS:- Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

10. निविदादाता ऐजेन्सी का जी.एस.टी. हेतु रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ इसके प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।
11. यदि कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवायें संतोषप्रद नहीं पायी जाती है तो निविदादाता को तुरन्त इसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा।
12. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन 9:00 बजे से सायः 6 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।
13. सफल निविदादाता कार्य पर जिन कर्मियों को संविदा के आधार पर लगायेगा उनके नाम एवं पते मय दो फोटो, पुलिस वेरिफिकेशन तथा शिक्षा एवं तकनीकी योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रो की प्रतियां कार्यदेश

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन–325/2018–19/

दिनांक :

जारी होने की तिथि के पांच दिनो के अन्दर–अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। अनुबन्ध की अवधि में यदि किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मी का नाम व पता पुलिस वेरिफिकेशन एवं फोटो तथा शिक्षा एवं तकनीकी योग्यता संबंधित प्रमाण–पत्र तुरन्त ही प्रस्तुत करने होगें।

14. कम्प्यूटर ऑपरेटरर्स के बिल प्रतिमाह माह समाप्ति के सात दिवस के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ताकि भुगतान की कार्यवाही समय पर की जा सके साथ ही गत माह भुगतान की रसीदे भी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
15. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) की संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु शेष अन्य शर्ते वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र F2-(1)/SPFC/2017 Dated 30.04.2018 के अनुरूप होगी।
16. किसी भी तरह के न्यायिक विवादों का न्याय क्षैत्र, कोटा होगा।
17. यदि निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मियों द्वारा किसी प्रकार की कानूनी पहल अथवा न्यायिक कार्यवाही की जाती है तो निविदादाता संस्था/ऐजेन्सी ही उसके लिये उत्तरदायी होगी। प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल उपरोक्त दायित्वों के लिये किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।
18. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार क्षैत्रीय अधिकारी को होगा।
19. यह कि किसी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा यह भी पूर्व में सूचना देकर किया जावेगा इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने तक चाहे ऑपरेटर की गैर हजारी के कारण या अन्य किसी भी खराबी के कारण हो तो प्रतिदिन 300/– की कटौती की जावेगी।
20. यदि कम्प्यूटरो की चोरी या किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। अतः निविदाता चाहे तो उपकरणो को बीमा करवा सकता है।
21. सफल बोलीदाता न्यूननतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करो को पूर्ण दायित्व सफल बोलीदाता का ही होगा।
22. कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय ऑपरेटर को कार्य करना होगा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जावेगा।
23. इस कार्य को करने पर बोलीदाता तथा सिस्टम पर कार्य करने वाला बोलीदाता के प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार की नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
24. ठेकेदार को नियमानुसार नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र तथा जमानत के रूप में ठेके की वार्षिक राशि के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि प्रतिभूति (Security) राशी के रूप में इस कार्यालय में कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों में जमा करना होगा अन्यथा अमानत राशि (Earnest Money) जब्त कर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। स्वीकृत निविदादाता अपनी जमा अमानत राशि (Earnest Money) को प्रतिभूति राशि (Security Money) में समायोजित करवा सकता है। प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर, अनुबन्ध के संतोषजनक निर्वाह की स्थिति में लिखित प्रार्थना पत्र देने पर शीघ्रताशीघ्र लौटा दी जावेगी । अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । यदि संविदा के किन्ही उपबंधो या शर्तो में उल्लंघन पाया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड (Penalty) लगाने का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा आर्थिक दण्ड (Penalty) का भुगतान न करने की स्थिति में दण्ड की राशि उसको देय भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि (Security Money) में से वसूल की जावेगी।
25. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
26. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
27. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
28. कोई भी कम्प्यूटर ऑपरेटर बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित नहीं रहेगा और यदि वह अनुपस्थित रहता है तो निविदादाता को उसके स्थान पर किसी अन्य योग्य कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्यालय में भिजवाना अनिवार्य होगा।
29. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004
rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन–325/2018–19/

दिनांक :

बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

30. संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवदेक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helplingनम्बर एवं संवेदक/ बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
31. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकां को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/ बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एंव सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
32. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/ दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
33. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवाअजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
34. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
35. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debarकराने की कार्यवाही की जायेगी।
36. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गांरटी नहीं दी जायेगी एंव उपाप्त संख्या में कमी यो उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा।

37.अमानत राशि का समपहरणः–अमानत राशि को निम्नलिखित मामालें में समपहत कर लिया जायेगा। जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है। जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो। जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो। जब वह विहित समय के भीतर आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

38. अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस अनुबन्ध की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण निःशुल्क प्रस्तुत करनी होगी।

39. विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
नाम मैसर्स...
....
पता...
....

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 / दिनांक :

–: तकनीकी बोली प्रपत्र :–

(लिफाफा न0 1)

कार्य का नाम–भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता जांच कार्यक्रम (एन.ए.एम.पी.) के अन्तर्गत कोटा में स्थापित छः वायु गुणवत्ता जांच केन्द्रो के संचालन हेतु क्षेत्र सहायक उपलब्ध करवाना (कुल संख्या 6)

1. संदर्भ : क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा की बोली सूचना संख्या – .... दिनांक ....
2. बोलीदाता / संवेदक का नाम :– ....
3. डाक का पता :–...
   ....
4. फोन / मोबाईल नं. :–..
5. ई–मेल :–..
6. बैंक का नाम :–..
   आईएफएससी कोड :–..
   खाता संख्या :–..
7. किसको सम्बोधित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा
8. बोली शुल्क रूपये : (1) 300 / – रू (पाँच सौ मात्र)
   (2) जमा रसीद संख्या ....दिनांक.......
   डीडी क्रमांक .... दिनांक ....
   ....राशि................ **(डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के पक्ष में देय होगा)**
9. बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार हैं,तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
10. क्षेत्र सहायक उपलब्ध कराने के कार्य हेतु दरें प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई हैं।
11. **बोली अमानत राशि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के पक्ष** रूपये .... निम्नानुसार संलग्न है। डीडी संख्या ....दिनांक...... .... बैंक की शाखा का नाम ....
12. संलग्न प्राईस शिड्यूल मे वर्णित दरे बोली स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेंगा।
13. बोलीदाता / संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ संलग्न करनी होगीः–

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970। (लागू नहीं होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा				

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षेत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 / दिनांक :

	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें)				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होंने सम्बन्धी 50रू.के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र				
8	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक / स्टेटमेन्ट की छायांप्रति				

14. संवेदक / बोलीदाता फर्म को परिवेशीय वायु गुणवत्ता जांच कार्य करने एवं प्राप्त नमूनो एवं आंकडो को मौके पर संधारित किये जाने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है (प्रमाण पत्र संलग्न है)
15. मै / हम क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा जारी की गई खुली बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक.............दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली आंमत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।
16. संवेदक / बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम.......................................

मोबाईल न. –

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 /   दिनांक :

प्राईस–शिड्यूल(वित्तीय बोली लिफाफा नं.2)

कार्य का नाम–भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता जांच कार्यक्रम (एन.ए.एम.पी.) के अन्तर्गत कोटा में स्थापित छः वायु गुणवत्ता जांच केन्द्रो के संचालन हेतु क्षेत्र सहायक उपलब्ध करवाना (कुल संख्या 6)

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	कुल राशि रू
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	श्रमिकों की संख्या (प्रति ईकाई)	राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)				
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	क्षेत्र सहायक (कुल संख्या 6)	कुशल	6058	6	6058	12.00 (नियोक्ता)	4.75 (नियोक्ता)		

2. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टि अंकित की जायेगी।

3. संवेदक / बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

4. स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में 0, एवं (–) में राशी स्वीकार नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम –

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 /

दिनांक :

राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन परियोजना (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य का विस्तृत विवरणः–

कोटा शहर में प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station)वर्तमान में निम्न स्थानों पर स्थित हैं:–

क्र. सं.	प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) का नाम	क्षैत्रीय प्रयोगशाला का नाम व पता जहां नमूने जमा कराने हैं
1.	क्षैत्रीय कार्यालय, रा.प्र.नि.म. परिसर, कोटा	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा
2.	कृषि विज्ञान केन्द्र, बोरखेड़ा, कोटा	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा
3.	नगर निगम कार्यालय, बिल्डिंग, रामपुरा, कोटा	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा
4.	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा
5.	एस.टी.पी. बालिता (श्री गिरिराज प्राईवेट इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीटीयूट बालिता), कोटा	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा
6.	अग्निशमन केन्द्र श्रीनाथपुरम, कोटा	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा

निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना होगा। लिफाफे पर "प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) हेतु क्षैत्र सहायक (Field Assistant) हेतु निविदा" अंकित कर उसे क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल प्लाट नं–2 ए, रोड नं. 6 इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षेत्र, कोटा को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक / साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।

1. परिवेशीय वायु गुणवत्ता केन्द्र पर तकनीकी सहायक / कर्मी से केन्द्र पर लिये जाने कार्य अपेक्षित कार्यः–

अ. कार्य का विवरणः–राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कोटा स्थित छः (06) स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का संचालन (Operation of Respirable Dust Sampler PM-10 एवं $PM_{2.5}$ Sampler) सुरक्षा एवं सुरक्षित रखने (Safety and Security) क्षेत्रीय प्रयोगशाला से डाटा शीट, फिल्टर पेपर एवं एबजोर्विग सोलूशन आदि प्रत्येक मॉनिटरिंग हेतु प्राप्त करना, वायु नमूनो का संग्रहण (Collection of Air Samples) एवं सम्बन्धित आंकडो (Ambient Air Quality Monitoring Data Sheet)) सहित विश्लेषणार्थ (Analysis) क्षेत्रीय प्रयोगशाला कोटा को शीघ्रता शीघ्र निर्देशानुसार हस्तान्तरण (Hand Over) करना।

ब. परियोजना अन्तर्गत स्थानों को परिवर्तित भी किया जा सकता है स्थानों व मशीनों की संख्या में कमी वृद्वि की जा सकती है।

स. निर्धारित स्टेशनों पर मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई मशीन का सुचारू रूप से संचालन (Operation of Equipments)

द. प्रत्येक प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) एक सप्ताह में दो दिवस के अन्तराल पर 24 घन्टे चलाया जायेगा।

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004
rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 /

दिनांक :

य. वांछित कार्य सम्पादन के लिये 8 घण्टे प्रति पारी (6:00 ए.एम. से 2:00 पी.एम., 2:00 पी.एम. से 10:00 पी.एम. एवं 10:00 पी.एम. से 6:00 ए.एम.) के संचालन हेतु प्रति पारी न्यूनतम एक क्षेत्र सहायक नियुक्त किया जायेगा।

2. आपात स्थिति एवं प्रत्येक दीपावली के दौरान आवश्यक होने पर किसी एक अथवा सभी प्रबोधन केन्द्रों पर दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस या अधिक दिन को भी यह कार्य किया जा सकता है। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी इस कार्य का भुगतान आनुपातिक दरों के अनुसार किया जायेगा।
3. क्षेत्र सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक / सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।
4. क्षेत्रीय अधिकारी / वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय–समय पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा जिसके दौरान पायी गई कमियों के आधार पर बोलीदाता / संवेदक पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी कमियों का बोलीदाता / संवेदक द्वारा तुरन्त निराकरण करना होगा।

परिवेशीय वायु प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य की शर्तेः–

1. निविदादाता को कोटा शहर के सम्पूर्ण प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Station) पर कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
2. संवेदक / बोलीदाता फर्म को परिवेशीय वायु गुणवत्ता जांच कार्य करने एवं प्राप्त नमूनो एवं आंकड़ो को मौके पर संधारित किये जाने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है अनुभव का प्रमाण–पत्र शपथ–पत्र के रूप में निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। इस प्रमाण पत्र के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। कार्यादेश को अनुभव का प्रमाण स्वीकार नहीं किया जावेगा।
3. संवेदक / बोलीदाता को अमानत राशि के रूप में रूपये 7500/– बैंक ड्राफ्ट जो सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के नाम हो तथा ये कोटा में भुगतान योग्य हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदा के साथ अमानत राशि का डी.डी.निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. संवेदक / बोलीदाता को नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र तथा जमानत के रूप में अनुबंध वार्षिक राशि के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि प्रतिभूति (Security) राशि के रूप में इस कार्यालय में कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों में जमा करना होगा अन्यथा अमानत राशि (Earnest Money) जब्त कर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा स्वीकृत निविदादाता अपनी जमा अमानत राशि (Earnest Money) को प्रतिभूति राशि (Security Money) में समायोजित करवा सकता है। प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर, अनुबन्ध संतोषजनक निर्वाह की स्थिति में लिखित प्रार्थना–पत्र देने पर शीघ्रताशीघ्र लौटा दी जावेगी। अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि संविदा के किन्हीं उपबंधों या शर्तो में उल्लंघन पाया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड (पेनल्टी) लगाने का अधिकार होगा ठेकेदार द्वारा आर्थिक दण्ड का भुगतान न करने की स्थिति में दण्ड की राशि उसको देय भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी मनी) में से वसूल की जावेगी।

3. क्षैत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबन्धकर्ता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा निविदादाता द्वारा जमा कराये गये प्रतिभूति राशि जब्त कर दी जायेगी।
4. संवेदक / निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दास्तावेजो में कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने एवं उसके द्वारा जमा करायी गयी प्रतिभूति राशि को जब्त करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कोटा को होगा।
5. विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है । विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
6. निविदा के साथ सभी आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न करने होंगे।
7. निविदा की दरे मूल निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है मूल निविदा प्रपत्र के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। निविदा प्रारूप स्याही / टंकण से ही भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
8. राष्ट्रीय परिवेशीय वायु प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) के अन्तर्गत वायु नमूना संग्रहण (Ambient Air Quality Monitoring) आंकडा

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 /

दिनांक :

प्रतिवेदन पत्र (Data Sheet) सहित क्षेत्रीय प्रयोगशाला को परिवहन (लाना एवं ले जाना) के कार्य हेतु ठेका एक वर्ष के लिए दिया जावेगा। ठेके की अवधि में कार्य उत्कृष्ट पाये जानें की स्थिति में ठेका आपसी सहमति से पूर्व स्वीकृत दरों एवं शर्तो पर बढ़ाया जा सकता है।

9. प्रबोधन कार्य संचालन (Handing of Monitoring Work)/सम्पादन हेतु मशीन उपस्कर / उपकरण रसायन कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of Equipment Supply of Absorbing Solution Filter Paper) आदि मण्डल प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये जायेंगे। आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत (Servicing and Repairing) सर्विस आदि की जिम्मेदारी मण्डल की होगी लेकिन प्रत्येक क्षेत्र सहायक की कर्तव्य निष्ठा, सुचारू रूप से मशीन के संचालन / संधारण आदि के लिये निविदादाता उत्तरदायी होगा। क्षेत्र सहायक द्वारा मशीन के संचालन / प्रचालन के रूकावट पर तुरन्त मण्डल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा। यदि बोलीदाता / संवेदक या उसके क्षेत्र सहायक की लापरवाही से मशीन के खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मकों, फिल्टर पेपर, आकडा प्रतिवेदन आंकडा संग्रह आदि को क्षति पहुंचाने या दुरूपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी तथा मण्डल उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय को धरोहर राशि / उसे देय भुगतान में से वसूल कर सकेगा।
10. संवेदक / बोलीदाता को कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एवं एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। आयकर विभाग में स्थायी खाता संख्या एवं GST रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे।
11. कार्यो के विवरण में दिये गये कार्यो को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति / मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
12. कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमो के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तदायित्व ठेकेदार का होगा।
13. अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये ठेका निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. अनुबंध की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर क्षैत्रीय अधिकारी, कोटा का निर्णय अन्तिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।

अन्य महत्वपूर्ण शर्ते–

1. संवेदक फर्म को परिवेशीय वायु गुणवत्ता जांच कार्य करने एवं प्राप्त नमूनो एवं आंकड़ो को मौके पर संधारित किये जाने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
2. संवेदक इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध करवाये गये व्यक्तियों की सूची मय फोटो योग्यता प्रमाण–पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन के साथ प्रस्तुत करेगा
3. इस निविदा के तहत कार्य निष्पादन हेतु संवेदक निर्धारित योग्यताधारी श्रमिकों का नियोजन किया जायेगा तथा ऐसे नियोजित श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा। यदि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो इस हेतु संवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. मॉनिटरिंग स्टेशन के चालन के समय 24 घंटे क्षैत्र सहायक उपलब्ध रहना अनिवार्य है।
5. संवेदक द्वारा कार्य पर लगाये गये क्षैत्र सहायको की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
6. संवेदक द्वारा अपराधिक चरित्र / अपराधिक प्रकृति / न्यायालय द्वारा अपराध सिद्व दोषी, सजायाफता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
7. संवेदक के व्यक्तियों द्वारा यदि मण्डल सम्पत्ति स्टेशन पर स्थापित उपकरण विभिन्न रसायनों अभिकर्मकों आदि को कोई नुकसान पहुचाया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार / संस्था को करनी होगी।
8. संवेदक को राज्य मण्डल के अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
9. क्षेत्र सहायक के अनुपस्थित होने पर प्रबोधन कार्य संचालन सुचारू रखने हेतु निविदादाता द्वारा किसी अन्य क्षेत्र सहायक की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जावेगी।
10. संवेदक द्वारा नियोजित किये जाने वाले क्षेत्र सहायक के संबंध में विभिन्न श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के प्रावधानों की पालना करने का सम्पूर्ण दायित्व संवेदक का होगा। राज्य मण्डल उक्त समस्त श्रम कानूनों के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
11. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने पर एवं कार्य सतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
12. संवेदक नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा / श्रमिक एवं औघोगिक संबंधी विवाद में दायित्व संवेदक का होगा तथा मण्डल कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

☎: 0744-2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षैत्र, कोटा -324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन-325/2018-19/

दिनांक :

13. संवेदक द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति की राशि संवेदक ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल का होगा।
14. उक्त शर्तो के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों /RTPP, Rules की शर्ते व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होंगे।
15. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध में कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न होता है अथवा पूर्व में अनुबंध का कोई विवाद न्यायालय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किये जाये तो माननीय न्यायलय के आदेशों की पालना संवेदक द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
16. यह कि मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त परियोजनार्थ कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेंगी।
17. इस निविदा के तहत अनुबन्ध की अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होगी तथापि अनुबन्ध की अवधि में कमी अथवा बढ़ोत्तरी करने का अधिकार मण्डल कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
18. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध शर्तो की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर क्षैत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, कोटा का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा।
19. संवेदक या उसके क्षेत्र सहायक द्वारा नमूने के एकत्रीकरण के कार्य में प्रतिदिन प्रयोगशाला प्रभारी अथवा अन्य नामित अधिकारी के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में नमूनों को मय आंकडा प्रतिवेदन (Collected Sample and Data Sheet) विश्लेषण के लिये जमा कराया जायेगा एवं नमूना एकत्रीकरण हेतु फिल्टर एवं अन्य विलियन प्राप्त किये जायेंगे
20. शास्ति (Penalty)
    1. संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा आंकडा प्रतिवेदन एवं नमूना को क्षैत्रीय प्रयोगशाला में समय पर जमा नहीं कराने पर उस दिन की भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उस दिन किये जाने वाली भुगतान राशि के बराबर की राशि की शास्ति (Penalty) लगायी जायेगी।
    2. संवेदक द्वारा लगातार तीन दिवसों पर कार्य में लापरवाही करने पर उन दिनों का भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुना राशि शास्ति के रूप में वसूली जायेगी।
    3. लगातार पांच कार्य दिवसों पर लापरवाही करने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रतिभूति राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जायेगी तथा उसकी जोखिम पर कार्य अन्य संस्था से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि संवेदक से वसूल की जावेगी।
21. किसी भी प्रकार से न्यायिक विवाद का क्षैत्राधिकार कोटा होगा।
22. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
23. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
24. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
25. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
26. संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवदेक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helplingनम्बर एवं संवेदक/ बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 /   दिनांक :

27. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा।
28. संवेदक / बोलीदाता द्वारा श्रमिकां को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक / बोलीदाता की ही होगी। संवेदक / बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एंव सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा।
29. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक / बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों / दायित्वों के लिये संवेदक / बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
30. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवाअजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा।
31. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में / संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने / ई.एस.आई. करवाने / सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
32. यदि संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक / बोलीदाता को Debarकराने की कार्यवाही की जायेगी।
33. अमानत राशि का समपहरणः– अमानत राशि को निम्नलिखित मामालें में समपहत कर लिया जायेगा। जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है। जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो। जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो। जब वह विहित समय के भीतर आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।
34. अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस अनुबन्ध की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण निःशुल्क प्रस्तुत करनी होगी।
35. विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

दिनांक

नामः मैसर्स ....

पताः ....

....

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 /

दिनांक :

–: तकनीकी बोली प्रपत्र :–

(लिफाफा न0 1)

कार्य का नाम – चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कुल संख्या 2)

1. संदर्भ की : क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा

   बोली सूचना संख्या – .... दिनांक ....

2. बोलीदाता / संवेदक का नाम :– ....
3. डाक का पता :–..

   ....
4. फोन / मोबाईल नं. :–..
5. ई–मेल :–..
6. बैंक का नाम :–..

   आईएफएससी कोड :–..

   खाता संख्या :–..
7. किसको सम्बोधित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा
8. बोली शुल्क रूपये : (1) 300 / – रू (पाँच सौ मात्र)

   (2) जमा रसीद संख्या ....दिनांक........

   ...

   डीडी क्रमांक .... दिनांक ....

   ....राशि................ **(डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के पक्ष में देय होगा)**

9. बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार हैं,तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
10. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु दरें प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई हैं।
11. **बोली अमानत राशि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के पक्ष** रूपये........ .... निम्नानुसार संलग्न है। डीडी संख्या ....दिनांक.................... .... बैंक की शाखा का नाम ....
12. संलग्न प्राईस शिड्यूल मे वर्णित दरे बोली स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेंगा।
13. बोलीदाता / संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ संलग्न करनी होगीः–

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970। (लागू नहीं होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें)				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 /   दिनांक :

3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होंने सम्बन्धी 50रू.के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र				
8	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक / स्टेटमेन्ट की छायांप्रति				

14. बोलीदाता / संवेदक द्वारा में केन्द्र / राज्य सरकार के राजकीय विभाग / उपक्रम / स्वायत्त संस्थायें / परियोजनाओ / बोर्ड / समिति / आयोग / शिक्षण संस्था / बैंको में सफलतापूर्वक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध करवाये जाने का 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। (प्रमाण पत्र संलग्न है)
15. मै / हम क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा जारी की गई खुली बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक..............दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली आंमत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।
16. संवेदक / बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम.......................................

मोबाईल न. –

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 / दिनांक :

प्राईस–शिड्यूल(वित्तीय बोली लिफाफा नं.2)

कार्य का नाम – चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कुल संख्या 2)

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	कुल राशि रू
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	श्रमिकों की संख्या (प्रति ईकाई)	राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)				
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कुल संख्या 2)	अकुशल	5538	2	5538	12.00 (नियोक्ता)	4.75 (नियोक्ता)		

2. उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टि अंकित की जायेगी।

3. संवेदक / बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

4. स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में 0, एवं (–) में राशी स्वीकार नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम –

Scanned by CamScanner

☏: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 /   दिनांक :

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षैत्रीय कार्यालय कोटा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु नियम एवं शर्तेः–

1.निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार तकनीकी व वित्तीय निविदाओं को अलग–अलग उचित रूप से मुहरबन्द लिफापे में बन्द करना होगा। लिफापो पर क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय "राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा" प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक / साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारिध तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।

2. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

3. निविदा प्रारूप स्याही / टंकण से ही भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

4. दरें शब्दों एवं अंको में अलग–अलग लिखी जावेगी। इसमें कोई त्रुटिया / उपरिलेखन नहीं होना चाहिये निविदाओं में किसी भी प्रकार की कटिंग एवं करेकशन स्वीकार्य नहीं होगा।

5. निविदा फॉर्म के साथ अमानत राशि रू 3500 /–का डी.डी. प्रस्तुत करना होगा इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा यह राशि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल देय कोटा के पक्ष में शिड्यू बैक ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी।

6. अमानत राशि का प्रतिदाय असफल निविदादाताओं को अमानत राशि निविदा के अंतिम रूप में स्वीकार करने के बाद लौटाई जायेगी।

7.अमानत राशि का समपहरणः–

अमानत राशि को निम्नलिखित मामालें में समपहत कर लिया जायेगा।

जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।

जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।

जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो।

जब वह विहित समय के भीतर आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

8. अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस अनुबन्ध की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण निःशुल्क प्रस्तुत करनी होगी।

9.विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।

10. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये चतुर्थश्रेणी कर्मचारी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

11. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी को प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जावेगा।

12. किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य सुरक्षाकर्मी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।

13. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।

14. निविदादाता के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चौरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।

15. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना–दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।

16. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना, अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।

17. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी को सफेद वर्दी में ही कार्यालय में उपस्थिति हेतु पाबंद किया जाना होगा।

18. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना पडेगा।

19. उपलब्ध कराये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के फोटो पहचान पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन तथा 8वीं पास का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

20. सफल बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करो के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांक: राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 /   दिनांक :

21. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
22. बिल का भुगतान प्रतिमाह किया जाएगा जिसके साथ सम्बन्धित विभाग में लगाये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिती व बिल विभाग के अधिकारी / प्रभारी को प्रमाणित करा कर देनी होगी। साथ ही भुगतान की रसीद भी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
23.किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम कोटा का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
24.सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र, कोटा न्यायालय ही रहेगा।
25. नियमानुसार आयकर की कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।
26. किसी भी प्रकार की क्षति के लिये क्षति पूर्ति का दायित्व निविदाता का होगा।
27. किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
28. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घटाने बढाने का अधिकार अधोहस्तारक्षकर्ता का होगा।
29. राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेशो / नियम निविदाता को मान्य होगे।
30.चतुर्थश्रेणी कर्मचारी के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आई.डी. एवं आयु प्रमाण–पत्र तथा पुलिस वेरिफिकेशन कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
31.ठेकेदार को नियमानुसार नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र तथा जमानत के रूप में ठेके की वार्षिक राशि के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि प्रतिभूति (Security) राशी के रूप में इस कार्यालय में कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों में जमा करना होगा अन्यथा अमानत राशि (Earnest Money) जब्त कर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। स्वीकृत निविदादाता अपनी जमा अमानत राशि (Earnest Money) को प्रतिभूति राशि (Security Money) में समायोजित करवा सकता है। प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर, अनुबन्ध के संतोषजनक निर्वाह की स्थिति में लिखित प्रार्थना पत्र देने पर शीघ्रताशीघ्र लौटा दी जावेगी । अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । यदि संविदा के किन्ही उपबंधो या शर्तो में उल्लंघन पाया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड (Penalty) लगाने का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा आर्थिक दण्ड (Penalty) का भुगतान न करने की स्थिति में दण्ड की राशि उसको देय भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि (Security Money) में से वसूल की जावेगी।
32. संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भगुतान किया जायेगा।
33. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक / बोलीदाता का होगा।
34. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक / बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
35.संवेदक / बोलीदाता को राज्य / केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक / बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक / बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक / बोलीदाता को आगामी माह के बिल / बिलों का भुगतान किया जायेगा।
36.संवेदक / बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवदेक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helplingनम्बर एवं संवेदक / बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
37.राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा।
38.संवेदक / बोलीदाता द्वारा श्रमिकां को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक / बोलीदाता की ही होगी। संवेदक / बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एंव सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन–325/2018–19/ दिनांक :

प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

39.श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

40.नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवाअजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

41.कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ई.एस. आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

42.यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debarकराने की कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

दिनांक

नाम मैसर्स...

....

पता...

....

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 /   दिनांक :

–: तकनीकी बोली प्रपत्र :–

(लिफाफा न0 1)

कार्य का नाम – सुरक्षाकर्मी–कुल संख्या–3

1. संदर्भ : क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा की बोली सूचना संख्या – .... दिनांक ....
2. बोलीदाता /संवेदक का नाम :– ....
3. डाक का पता :– ....
   ....
   ....
4. फोन / मोबाईल नं. :– ....
5. ई–मेल :– ....
6. बैंक का नाम :– ....
   आईएफएससी कोड :– ....
   खाता संख्या :– ....
7. किसको सम्बोधित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा
8. बोली शुल्क रूपये : (1) 300 / – रू (तीन सौ मात्र)
   (2) जमा रसीद संख्या ....दिनांक.....
   डीडी क्रमांक .... दिनांक ....
   ....राशि............... **(डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के पक्ष में देय होगा)**
9. बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार हैं,तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
10. सुरक्षाकर्मी कार्य हेतु दरें प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई हैं।
11. **बोली अमानत राशि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के पक्ष** रूपये .... निम्नानुसार संलग्न है।
    डीडी संख्या .... दिनांक............................ बैंक की शाखा का नाम ....
12. संलग्न प्राईस शिड्यूल मे वर्णित दरे बोली स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेंगा।
13. बोलीदाता / संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरणों का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ संलग्न करनी होगी:–

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970। (लागू नहीं होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें)				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				

Scanned by CamScanner

☏: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 /

दिनांक :

3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होंने सम्बन्धी 50रू.के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र				
8	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक / स्टेटमेन्ट की छायांप्रति				

14. बोलीदाता / संवेदक द्वारा केन्द्र / राज्य के राजकीय विभाग / उपक्रम / स्वायत्त संस्थाएं / परियोजनाएं / बोर्ड / समिति / आयोग / शिक्षण संस्था / बैंकों में सफलतापूर्वक सुरक्षागार्ड उपलब्ध करवाये जाने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
15. मै / हम क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा जारी की गई खुली बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक.............. दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली आंमत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।
16. संवेदक / बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम.......................................

मोबाईल न. –

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औधोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 /   दिनांक :

प्राईस–शिड्यूल(वित्तीय बोली लिफाफा नं.2)

कार्य का नाम – सुरक्षाकर्मी (कुल संख्या 3)

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	कुल राशि रू
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	श्रमिकों की संख्या (प्रति ईकाई)	राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)				
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	सुरक्षाकर्मी	कुशल	**6058**	**3**	**6058**	**12.00** (नियोक्ता)	**4.75** (नियोक्ता)		

2. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी।

3. संवेदक / बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

4. स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में 0 एवं (–) में राशी स्वीकार्य नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम –

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 /

दिनांक :

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षैत्रीय कार्यालय कोटा में सुरक्षाकर्मी हेतु नियम एवं शर्तेः–

1.निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफापे में बन्द करना होगा। लिफापे पर क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय "राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा" प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक / साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।

2. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

3. निविदा प्रारूप स्याही / टंकण से ही भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

4. दरें शब्दों एवं अंको में अलग–अलग लिखी जावेगी। इसमें कोई त्रुटिया / उपरिलेखन नहीं होना चाहिये

5. निविदा फर्म के साथ अमानत राशि रू 5000 / –की प्रस्तुत करनी होगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा यह **राशि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल देय कोटा** के पक्ष में शिड्यू बैक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के रूप में जमा करानी होगी।

6. अमानत राशि का प्रतिदाय असफल निविदादाताओं को अमानत राशि निविदा के अंतिम रूप में स्वीकार करने के बाद लौटाई जायेगी।

7.अमानत राशि का समपहरणः अमानत राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जायेगा।
जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।
जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।
जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो।
जब वह विहित समय के भीतर आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

8. अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस अनुबन्ध की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण निःशुल्क प्रस्तुत करनी होगी।

9.विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।

10. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

11. सुरक्षाकर्मी को प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी देनी होगी।

12. किसी भी सुरक्षाकर्मी के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य सुरक्षाकर्मी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा। अन्यथा जुर्माना देय होगा।

13. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी। जिसमें सुरक्षाकर्मी को प्रोविडेन्ट फण्ड एवं राज्य बीमा कानून आदि लागू होगें।

14. सुरक्षाकर्मी को निर्धारित वर्दी में रहना एवं बेंच लगाना अनिवार्य होगा। सुरक्षाकर्मी को वंर्दी, टार्च, सीटी एवं डंडा (4 फिट) का निविदादाता स्वयं को उपलब्ध करायेगा अन्यथा प्रतिदिन रू. 50 / – प्रति कर्मचारी पेनल्टी देनी होगी।

15. यदि किसी न्यायालय, अधिकरण मण्डल द्वारा पारित अवार्ड की पालना में यदि किसी राशि के भुगतान का दायित्व मण्डल पर आता है, तो अदायगी की जिम्मेदारी निविदाता की होगी।

16. निविदादाता के सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।

17. सुरक्षाकर्मी के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना–दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।

18. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना, अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।

19. सुरक्षाकर्मी का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना पडेगा।

20. कोई भी सुरक्षाकर्मी दूसरी शिफ्ट के स्टॉफ को चार्ज संभालाने के बाद ही ड्यूटी से ऑफ होगा।

21. यदि किसी कारणवश कोई सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर नहीं आ सके तो उसके एवज में दूसरा सुरक्षाकर्मी निविदादाता को उपलब्ध कराना होगा।

22. उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी का पुलिस वेरीफिकेशन क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, कोटा को प्रस्तुत करना होगा एवं समस्त कर्मियों को कार्यालय अनुशासन का पूर्ण पालन करना होगा।

23. निविदादाता को श्रम नियमों के अनुसार प्रत्येक माह भुगतान करना होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873
क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004
rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन–325/2018–19/

दिनांक :

24. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी स्टॉफ कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
25. सुरक्षाकर्मी जहां भी नियुक्त हो वहां पर रखे राजिस्टर में आने जाने एवं कोई विशेष घटना का विवरण समय डाल कर अंकित करना होगा।
26. बिल का भुगतान प्रतिमाह किया जाएगा जिसके साथ सम्बन्धित विभाग में लगाये गये गार्ड व उपस्थित व बिल विभाग के अधिकारी/प्रभारी से प्रमाणित करा कर निविदादाता को देनी होगी।
27. यदि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई कर लगाया जाता है तो उसकी अदाय निविदादाता को ही करनी होगी।
28.सफल निविदादाता को उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी को न्यूनतम भुगतान की रसीद की छाया प्रति हर माह मण्डल में प्रस्तुत करनी होगी।
29.किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम कोटा का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
30.सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र, कोटा न्यायालय ही रहेगा।
32. नियमानुसार आयकर की कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।
33. दर निरन्तर 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था प्रतिमाह की दी जावे जिससे रविवार व अन्य अवकाश के दिन भी सम्मिलित होंगे।
34. सुरक्षाकर्मी के अनुपस्थित पाये जाने पर देय भुगतान मय क्षतिपूर्ति निविदादाता के मासिक बिल से काट लिया जावेगा। क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जावेगा।
35. किसी भी प्रकार की क्षति के लिये क्षति पूर्ति का दायित्व निविदाता का होगा।
36. निविदादाता द्वारा इस कार्यालय को नियमित रूप से मासिक बिल प्रस्तुत करना होगा। सुरक्षाकर्मियों को भुगतान का दायित्व निविदादाता का होगा।
37. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
38. निविदादाता को सुरक्षा गार्ड सेवाओं संबंधी राज्य सरकार का अनुज्ञा पत्र/लाईसेन्स एवं सेवाकर/आयकर नम्बर मय प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत करने होंगे।
39. निविदा अवधि घटाने व बढाने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
40. सुरक्षाकर्मी घटाने बढाने का अधिकार अधोहस्तारक्षकर्ता का होगा।
41. राज्य सरकार द्वारा सुरक्षाकर्मी के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेशो/नियम निविदाता को मान्य होगे।
42. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
43. संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवदेक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helplingनम्बर एवं संवेदक/ बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
44. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकां को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/ बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एंव सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
45. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
46. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवाअजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

Scanned by CamScanner

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2018–19 /   दिनांक :

47. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में / संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने / ई. एस.आई. करवाने / सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा, इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

48. यदि संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक / बोलीदाता को Debarकराने की कार्यवाही की जायेगी।

49. ठेकेदार को नियमानुसार नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र तथा जमानत के रूप में ठेके की वार्षिक राशि के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि प्रतिभूति (Security) राशी के रूप में इस कार्यालय में कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों में जमा करना होगा अन्यथा अमानत राशि (Earnest Money) जब्त कर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। स्वीकृत निविदादाता अपनी जमा अमानत राशि (Earnest Money) को प्रतिभूति राशि (Security Money) में समायोजित करवा सकता है। प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर, अनुबन्ध के संतोषजनक निर्वाह की स्थिति में लिखित प्रार्थना पत्र देने पर शीघ्रताशीघ्र लौटा दी जावेगी । अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । यदि संविदा के किन्ही उपबंधो या शर्तो में उल्लंघन पाया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड (Penalty) लगाने का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा आर्थिक दण्ड (Penalty) का भुगतान न करने की स्थिति में दण्ड की राशि उसको देय भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि (Security Money) में से वसूल की जावेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

Scanned by CamScanner